Al R JL. Malars

परिपत्र संख्या 06/2021 24-05-21

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
"पंजीयन–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(67)जन/मा.द्र./कोटा/2020/7613 – 7645 दिनांक : 17/5/20

~:~ परिपत्र ~:~

Prg-1

24/5/21

समस्त जिला कलक्टर
एवं जिला पंजीयक,
राजस्थान।

विषयः–दस्तावेज पंजीयन पर रोक नहीं लगाने के सम्बंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विभाग के ध्यान में ऐसे प्रकरण आये हैं जिनमें कई स्थानों पर उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदारों या स्थानीय निकाय द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन पर रोक या प्रतिबंध लगा दिया जाता है जो पंजीयन विधि के कानूनी प्रावधानों एवं गारन्टेड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है तथा ऐसे अनाधिकृत आदेशों के कारण दस्तावेजों का पंजीयन नहीं होने से राज्य सरकार को राजस्व आय की हानि भी होती है।

इस सम्बंध में भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 19, 19ए, 20, 21 एवं धारा 35(3) सपठित पंजीयन नियम–41 तथा पंजीयन अधिनियम की धारा 21(1), 21(4), 23, 25 एवं 34 सपठित पंजीयन नियम–100 तथा पंजीयन नियम–1955 के नियम 45, 46, 93 व 106 के अन्तर्गत दस्तावेज को पंजीयन से स्वीकार या इंकार करने के प्रावधान है। अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के सम्बंध में निष्पादित दस्तावेजों के पंजीयन से सम्बंधित प्रावधान, भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 तथा राजस्थान पंजीयन नियम–1955 भाग–1 के प्रावधानों से शासित होते है। अतः पंजीयन अधिनियम में निषिद्ध प्रावधानों के अलावा अन्य आधार पर पंजीयन से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः निवेदन है कि उक्त अधिनियमों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में अपने अधीनस्थ समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देशित कराया जावे कि दस्तावेज पंजीयन पर रोक लगाये जाने सम्बंधी ऐसे आदेश जारी नहीं किये जावें एवं यदि पूर्व में इस प्रकार के कोई आदेश/प्रतिबंध प्रसारित किये गये हों तो उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित (विदड्रा) किया जावे।

भवदीय

17/5/21

(महावीर प्रसाद)
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर।

क्रमांक: एफ–7(67)जन / मा.द. / कोटा / 2020 / 7646 – 8200 दिनांक : 17/5/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन), पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर, कमरा नम्बर 401, ब्लाक–डी वित्त भवन, जिला जयपुर।
2. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
3. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन) राजस्थान।
4. अतिरिक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।

17.5.21

(ओंकार मल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर।